फा.सं.14(2)/2014-विधायी-II

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

87, संसद भवन,

नई दिल्ली-110001

तारीख: 09.11.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर कार्रवाई से संबंधित अनुदेश।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सभा के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। इसी प्रकार राज्य सभा में, सदस्यों को नियम 180ए-ई के अंतर्गत "विशेष उल्लेख" के रूप में ऐसे मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए नोडल मंत्रालय है कि नियम 377 औ विशेष उल्लेख के तहत उठाए गए मामलों पर मंत्रालयों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाए और समय पर उत्तर दिए जाएं। ऐसे मामलों के निपटान से संबंधित दिशानिर्देशों का मंत्रालय में पुनरीक्षण किया गया है। लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों के निपटान के लिए सेवानिवृत्त सदस्यों के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, संसद सदस्यों की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के प्रभाव के संबंध में भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के पैरा 15.4 को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है:-

पैरा संख्या	मौजूदा उपबंध	प्रस्तावित संशोधन
पैरा 15.4 *सदस्यों की सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र का प्रभाव*	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों के बारे में, यदि मामले को उठाने वाला कोई सदस्य सदन में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो संबंधित विभाग द्वारा उस मामले का उत्तर वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुए लोक सभा सचिवालय को भेजा जाएगा और उसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दी जाएगी। राज्य सभा में नियम 180ए के तहत किए गए विशेष उल्लेखों के बारे में, यदि मामले को उठाने वाला कोई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है या सदन में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य सभा सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को कोई उत्तर भेजना अपेक्षित नहीं है। तथापि, यदि राज्य सभा/लोक सभा में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देने वाला या राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने वाला सदस्य पुनः उस सदन में निर्वाचित हो जाता है जिस सदन से उसने त्याग पत्र दिया था या जिस सदन से वह सेवानिवृत्त हुआ था, तो संबंधित संसदीय सचिवालय को और संसदीय कार्य मंत्रालय को सूचित करते हुए उस मामले का उत्तर सदस्य को भेजा जाएगा।	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अंतर्गत किए गए विशेष उल्लेखों के संबंध में, यदि मामला उठाने वाला सदस्य सदन में अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या सेवानिवृत्त हो जाता है (राज्य सभा से), तो संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा ऐसे मामले का उत्तर वास्तविक स्थिति का उल्लेख करते हुए, यथास्थिति, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को भेजा जाएगा और उसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दी जाएगी।

4. सभी मंत्रालयों से अनुरोध है कि उपरोक्त अनुदेशों को मंत्रालय में सभी अधिकारियों और अनुभागों में परिचालित करें और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि विलंब के कारण होने वाली आलोचना से बचा जा सके। लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए लंबित मामलों की अद्यतन सूची इस मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात **www.mpa.gov.in** पर **"Activities+"** नामक उप-शीर्षक के अंतर्गत अनुपालन हेतु देखी जा सकती है।

5. तदनुसार भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के पैरा 15.4 "सदस्यों की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र आदि का प्रभाव" में संशोधन किया जाता है।

(डॉ. सत्य प्रकाश)
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034734

सेवा में

सभी मंत्रालय/विभाग
(संसद अनुभाग)